भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3561

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

निजी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्‌वारा सी.एस.आर. के संबंध में खर्च की गई धनराशि का तुलनात्मक अध्ययन

3561. श्री सी. एम. रमेश :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अधीन निजी कंपनियों द्‌वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सी.एस.आर. के अधीन निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्‌वारा खर्च की गई धनराशि के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी उपबंध हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। यह कंपनियों द्‌वारा सी.एस.आर. के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष है। सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्‌वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनियों द्‌वारा सीएसआर व्यय के अनिवार्य प्रकटन के बाद ही उपलब्ध होंगे जो सितंबर, 2015 के बाद देय होंगे।

*****